न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2018 पुनरीक्षण II/ निगरानी/रीवा/भू.रा/2018/1907

रामचरित पुत्र स्व. राधेश्याम कोयरी
निवासी ग्राम नाऊनकला तहसील हनुमना
जिला रीवा (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

1. मोतीलाल 2. हीरालाल
3. प्रेमलाल 4. भाईलाल

पुत्रगण स्व. छठिलाल कोयरी
निवासीगण ग्राम नाऊनकला तहसील हनुमना
जिला रीवा (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा म.प्र. द्वारा प्र.कं. 147–ए–6–ए/16–17 में पारित आदेश दिनांक 8.3.2018 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, भूमि ख.नं. 1042 रकवा 0.21ए. 1043 रकवा 3.17 ए. भूमि ग्राम नाऊनकला तहसील हनुमना में स्थिति होकर आवेदक उक्त भूमि का भूमिस्वामी एवं स्वत्वधारी है।

(40)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक II/निग./रीवा/भू.रा./18/1907 रामचरित / मोतीलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
08/01/19	आवेदक की ओर से श्री मुकेश आदिव अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी - हनुमना के प्रकरण क्रमांक 147/अ-6-अ/16-17 में पारित आदेश दिनांक 8-3-18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला - रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 23/04/19 को कलेक्टर जिला - रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	